करार नियम 96 (1) देखें

यह करार, ग्राम पंचायत तहसील व जि	ोला सोलन हिमाचल प्रदेश के सचिव के द्वारा, जिसे इसमें प्रथम
पक्ष कहा जाएगा,और	भाग लेने वाली समिति/रजिस्टर निकाय के अध्यक्ष
द्वारा, जिसे इसमें द्वितीय पक्ष कहा जाएगा, के	बीच आज दिनाक को किया गया -
जैसा किप्रथम पक्ष ने	संकर्म के निष्पादन का
आषय किया है जिसकी कुल लागतरप	ए है शब्दो में :
और जैसा कि द्वितीय पक्षदिनों	/महीने के भीतर पक्षकारों के बीच सहमति के बाद,निबन्धनों और
शर्ती पर उक्त संकर्म के निष्पादन को सहमत हु3	ग है :
अतः एतदद्वारा और पक्षकारों के बीच नि	नेम्न रुप में सहमति से करार किया जाता है :
1. यह कि संकर्म हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण वि	वेभाग के विनिर्देषों के अनुसार और प्रथम पक्ष की, इसके तकनीकी
प्राधिकारियों के माध्यम से, तुष्टि के अनुसार कि	ज्या जाएगा ।
2 यह कि संकर्म दवितीय पक्ष दवारा	दिनों/महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा और सामग्री
और मन्जूरी इत्यादि मे लागत की बढ़ौतरी के लेख	••
``	द्वारा समय-समय पर अधिसूचित न्यूनतम मजद्री का संदाय
करेगा ।	प्यारा राज्य-राज्य नर आवर्गवरा व व्याराज्य गावसुरा नम रावाव
9/(*)	
4. यह कि द्वितीय पक्ष, समस्त लागू निबन्धन	और अन्य प्रभार, जैसे कि विक्रय कर, आय कर, रायल्टी इत्यादि,
स्वयं वहन करेगा।	
5. यह कि द्वितीय पक्ष, संकर्म के निष्पादन से	किसी सार्वजनिक या निजी सम्पति को हुआ नुकसान, यदि कोई
हो, की प्रथम पक्ष की सहमति/पुष्टि से क्षतिपूर्ति	करेगा।
6. यह कि संकर्म के निष्पादन से किसी त्रुटि की	दषा में, जैसा कि प्रथम पक्ष के तकनीकी प्राधिकारी द्वारा बताई
गई है, उसे द्वितीय पक्ष द्वारा, किसी अतिरिक्त	न दावे के बिना, प्रथम पक्ष के तकनीकी प्राधिकारी की सन्तुष्टि के
अनुसार, उसमे सुधार किया जाएगा ।	
7. यह कि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा संदत	किये गए चालू अन्तिम बिलों से पहले मूल बिल/वाउचर प्रस्तुत
करेगा ।	
8. यह कि द्वितीय पक्ष, हिमाचल प्रदेष पंचाय	ाती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, कार्य, कराधान और भते)
नियम, 2002 के अध्याय-ग्प् के उपबन्धों को ध	यान में रखते हुए संकर्मों को निष्पादित करेगा ।
9 यह कि द्वीतीय पक्ष को 60 : 40 (मजद्री : सार	मग्री) के अनुपात में अदायगी की जाएगी ।
साक्षी के रुप में, दोनो पक्षों ने इस करार पर हस्ता	क्षर किए ।
प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर	द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर
साक्षी:	द्ावताय पदा क हस्तादार साक्षी :
सादा। . 1	सादा। . 1
2	2
<i>L</i>	∠

3.

.....

3.

.....